



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

सं.सं. भा वि प्रा/पा. लेखापरीक्षा/2018/1896

12 दिसंबर, 2018

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उत्तरी/पूर्वी/पश्चिमी/दक्षिणी क्षेत्र/ उ पू क्षेत्र  
दिल्ली/कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गुवाहाटी

विमानपत्तन निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कोलकाता / चेन्नई हवाईअड्डा  
कोलकाता / चेन्नई

प्रधानाचार्य

ना वि प्र. महाविद्यालय, इलाहाबाद

सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (प्र अ प्रा), नि मु

**विषय : सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के धारा 4 के तहत प्रकटन का पारदर्शिता लेखापरीक्षा**

इस कार्यालय के पत्र सं. भा वि प्रा/सू का अ/पा लेखापरीक्षा/2018/1125 दिनांक. 08.08.2018 के जारी में, आपके क्षेत्र/हवाईअड्डे/संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी होने के नाते, आपको सी आई सी द्वारा प्रदान किए गए एप्रोच पैपर में बताए गए लेखापरीक्षा अभ्यास के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली को परिचालित करते हुए, आपकी अधिकारिता से संबंधित सभी जानकारी और सी आई सी द्वारा परिचालित संलग्न प्रारूप में मदवार, भा वि प्रा की वेबसाइट पर सीघ्र से अपलोड करने पर कृपया सुनिश्चित करने का यह अनुरोध किया जाता है। यह भी अनुरोध किया गया था कि स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण किया जाए और स्वतः प्रकटीकरण पर जारी गिल्डलाइन के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

मेल दिनांक. 09.08.2018 के संदर्भ में केन्द्रीय नोडल अधिकारी सू का अ द्वारा उक्त संदर्भ पत्र दिनांक. 08.08.2018 के साथ सभी अनुलग्नक आगे की कार्रवाई हेतु अग्रेषित हैं।

यह भी अनुरोध किया जाता है कि अग्रिम के रूप में उक्त परिपत्र को जारी करने के बावजूद, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था और किसी भी नोडल अधिकारी / एफ ए ए द्वारा कोई भी जानकारी अपलोड नहीं की गई थी जिसमें क्षेत्र और हवाई अड्डे शामिल हैं।

केन्द्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) द्वारा आयोजित पारदर्शी लेखापरीक्षा में निम्नांखित पैरामीटर एवं प्रभाव निर्धारित है।

पारामीटर	प्रभाव %
1. संगठन एवं कार्यविधि	10%



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

2. बजट एवं कार्यक्रम	30%
3. प्रचार एवं जन सहयोगी	25%
4. ई - शासन	20%
5. निर्धारित सूचना एवं	10%
6. स्वयं प्रारंभ पर प्रकट की गई जानकारी	5%

कुल : 100%

लोक प्राधिकरणों के स्कोर और ग्रेड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

<u>स्कोर</u>	<u>ग्रेड</u>
90-100	ए
80-89	बी
70-79	सी
60-69	डी
60 के नीचे	ई

सरकारी प्राधिकरण (पी ए एस) जो 60% से कम अंक प्राप्त करते हैं, उसे ई के तहत समूहीकृत किया जाता है, जो सूचित करता है कि इस समूह में न्यूनतम प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं पीए।

उक्त पैरामीटर एवं उप-पैरामीटर के आधार पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 57% अंक दिया गया है तथा ई रैंक प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा के लिए, सभी प्रासंगिक संकेतकों से सम्मिलित एक व्यापक प्रारूप सरकारी प्राधिकरणों (पी ए) द्वारा प्रकटन का मूल्यांकन के लिए सी आई सी द्वारा डिजाइन किया गया एवं विकसित किया गया। सू का अ के धारा 4 में साथ ही साथ सी आई सी, न्यायालय, विविध अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधानों तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया अन्य सूचना में उल्लिखित सभी संबंधित पैरामीटरों को पहचान करने तथा अधिकृत करने के लिए ध्यान रखा गया है। सी आई सी द्वारा प्रदान किया गया पारदर्शी लेखापरीक्षा के लिए दृष्टिकोण पत्र एवं संरचना में लेखापरीक्षा अभ्यास के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली की व्याख्या की गई तथा इस कार्यालय के पत्र सम सं दिनांक. 08.08.2018 में संलग्न किया गया।

इस संबंध में, पारदर्शी लेखापरीक्षा के लिए संरचना का प्रारूप इस पत्र के साथ प्रारूप में लेखापरीक्षा की आवश्यकता के अनुसार आपके क्षेत्राधिकार (क्षेत्र, हवाईअड्डा या निदेशालय, जैसी स्थिति हो) से संबंधित मर्दानों को पहचान करने हेतु तथा सूचना का प्रकटन / अपलोड करने के लिए निर्देशों के साथ फिर से संलग्न (अनुबंध - I) किया जाता है। अपलोड / प्रकटित किया जाने वाली सूचना पर मर्दानों की संख्या सम्मिलित एक सूची भी आपके



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

सूचनार्थ संलग्न (अनुबंध II) है। अगर, कोई भी मद आपके क्षेत्र / हवाईअड्डा / निदेशालय से संबंधित नहीं है तो, उसी को संबंधित विभाग को अग्रेषित किया जाए।

उपरोक्त के आलोक में, निम्नलिखित कार्रवाई करने की आवश्यकता है :

1. संलग्न प्रारूप से पहचान किया गया मदों / सूचना की सूची सू का अ कक्ष, नि मु को इस पत्र की प्राप्ति से दो सप्ताहों के अन्दर भेजा जाए।
2. वेबसाइट में सूचना अपलोड करने की संपूर्ण प्रक्रिया सीघ से 31 जनवरी, 2019 के पूर्व पूरा किया जाए।
3. मदों / स्वयं प्रारंभ पर प्रकट की गई जानकारी को अधिकतम प्राथमिकता दी जाती है।
4. सभी अपलोड किए गए मद / सूचनाएं द्विभाषिक में होना है।
5. भा विप्रा के वेबसाइट में सूचना को अपलोड करने के लिए जैसे सू का अ अधिनियम, 2005 के धारा 4 के तहत प्रकटन, पी आई ओ का अद्यतन सूचना का विवरण, सी पी आई ओ / एफ ए ए , नि मु को सू का अ पर तिमाही विवरणी का प्रस्तुतीकरण इत्यादि सू का अ संबंधी मामलों के लिए एक संयोजक आपके क्षेत्र / हवाईअड्डा / निदेशालय के अधीन नामित किया जाए, जैसी स्थिति हो। नामित संयोजक का विवरण (नाम, पदनाम, दूरभाष सं एवं ई मेल आई डी) सीधी बातचीत के लिए सू का अ कक्ष, नि मु को सूचित किया जाए।

सार्वजनिक / सरकारी प्राधिकरण ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा सूचना को अनुपालन साथ ही साथ ऐसी सभी जानकारी के लिए अधिकतम संभव प्रकट करना है, जो सी पी आई ओ एस से मांगने वाली सचना से संबंधित सू का अ के आवेदन पत्रों की संख्या भी कम हो जाएगा ।

तदनुसार, अनुपालनार्थ कृपाय आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त

(अनूज अगर्वाल)  
सदस्य (मा सं)

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, भा वि प्रा



## अनुबंध I

### पारदर्शिता लेखापरीक्षा के लिए एक संरचना

धारा 4 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी प्राधिकरणों के कार्य पद्धति में स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक संरचना प्रदान करता है।

जबकि धारा 4(1) (क) रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एक सामान्य दिशानिर्देश प्रदान करता है, ताकि जानकारी को आसानी से संग्रहीत और बनाए रखा जा सके, धारा 4 के उप-धारा बी, सी और डी संगठन के उद्देश्यों और कार्य विधियों से संबंधित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (बी), (सी) और (डी) और अन्य संबंधित जानकारी को छह श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है; अर्थात्, 1-संगठन और कार्यविधि, 2. बजट और कार्यक्रम, 3-प्रचार और जन सहयोगी, 4-ई- शासन, 5-निर्धारित सूचना और 6. स्वयं प्रारंभ पर प्रकट की गई जानकारी।

#### 1. संगठन एवं कार्य

क्रम सं	मद	प्रकटन / प्रकटीकरण का विवरण	अभ्युक्तियाँ / संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले / नहीं मिले - लागू नहीं को पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
1.1	इसका संगठन, कार्य एवं कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(ख)(i)]	(i) संगठन का नाम एवं पता (ii) संगठन का प्रधान (iii) उद्देश्य, ध्येय और प्रमुख उद्देश्य (iv) कार्य एवं कर्तव्य (v) संगठन चार्ट (vi) कोई अन्य विवरण - विभाग का उद्भव, प्रारंभ, स्थापना, गठन और समय-समय पर विभागाध्यक्षों साथ ही साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों से निपटाया गया है	



1.2	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य [धारा 4(1) (ख)(ii)]	(vii) अधिकारियों के शक्तियाँ एवं कर्तव्यों (प्रशासनिक, वित्तीय एवं न्यायिक)	
		(viii) अन्य कर्मचारियों के शक्ति एवं कर्तव्यों	
		(ix) नियमों / आदेशों जिसके तहत शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और	
		(x) प्रयोग किया गया	
		(xi) कार्य आबंटन	
1.3	निर्णय बनाने की प्रक्रिया में क्रियाविधि [धारा 4(1) (ख)(iii)]	(i) प्रमुख पहचान निर्णय लेने एवं निर्णय लेने के बिंदु की प्रक्रिया	
		(ii) वित्तीय निर्णय बनाने का अधिकारण	
		(iii) संबंधित प्रावधानों, अधिनियमों, नियम आदि	
		(iv) निर्णय लेने पर समय सीमा, यदि कोई	
		(v) पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही का चैनल	
1.4	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1) (ख)(iv)]	(i) प्रस्तावित कार्यों सेवाओं की प्रकृति	
		(ii) कार्यों / सेवा वितरण के लिए मानदंड और मानक	
		(iii) प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है	
		(iv) लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समय सीमा	
		(v) शिकायतों का निवारण की प्रक्रिया	
1.5	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश नियमावली एवं प्रलेख [धारा 4(1) (ख)(v)]	(i) प्रलेख / नियमावली / निर्देश के शीर्षक एवं प्रकृति	
		(ii) नियमों, विनियमों, निर्देशों, नियमावली एवं प्रलेखों की सूची	
		(iii) अधिनियमों / नियमों नियमावली आदि	
		(iv) स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश	



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

1.6	प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां [धारा 4(1) (ख)(vi)]	(i) दस्तावेजों की श्रेणियाँ	
		(ii) दस्तावेजों / श्रेणियों के संरक्षक	
1.7	लोक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1) (ख)(viii)]	(i) बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम	
		(ii) संयोजन	
		(iii) तिथियां जिनसे गठित	
		(iv) अवधि / कार्यकाल	
		(v) शक्तियां और कार्य	
		(vi) क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं	
		(vii) क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं	
		(viii) वह स्थान जहाँ बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हों	
1.8	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1) (ख)(ix)]	(i) नाम एवं पदनाम	
		(ii) दूरभाष, फैक्स एवं ई मेल आईडी	
1.9	प्रतिपूर्ति की प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक [धारा 4(1) (ख)(x)]	(i) सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची	
		(ii) इसके विनियमन में प्रदान की गई प्रतिपूर्ति की प्रणाली	

पृष्ठ 03 का 12



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

1.10	लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण [धारा 4(1) (ख) (xvi)]	(i)	लोक सूचना अधिकारी (पी आई ओ), सहायक लोक सूचना (एस) एवं अपीलीय प्राधिकरण	
		(ii)	प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, दूरभाष सं. एवं ई मेल आई डी	
1.11	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2))		कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है	
		(i)	लघु दंड या बड़ा दंड कार्यवाही के लिए लंबित	
		(ii)	लघु दंड या बड़ा दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया	
1.12	सू का अ की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)	(i)	शैक्षिक कार्यक्रम	
		(ii)	इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सरकारी प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने का प्रयास	
		(iii)	सी पी आई ओ / ए पी आई ओ का प्रशिक्षण	
		(iv)	संबंधित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा सू का अ पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन और प्रकाशन	
1.13	स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश [मि सं. 1/6/2011-सू अ दिनांक.15.4.2013]			



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

## 2. बजट और कार्यक्रम

क्रम सं	मद	प्रकटन / प्रकटीकरण का विवरण	अभ्युक्तियाँ / संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले / नहीं मिले - लागू नहीं को पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
2.1	किया गया संवितरण पर सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और रिपोर्ट आदि सहित प्रत्येक एजेन्सी को आबंटित किया गया बजट [धारा 4(1)(ख)(xi)]	(i) सरकारी प्राधिकारी के लिए कुल बजट	
		(ii) प्रत्येक एजेन्सी तथा योजना एवं कार्यक्रमों के लिए बजट	
		(iii) प्रस्तावित व्यय	
		(iv) प्रत्येक एजेन्सी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो	
		(v) किया गया संवितरण पर रिपोर्ट एवं स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध है।	
2.2	विदेशी एवं देशी दौरे (मि सं.1/8/2012-सू अ दिनांक. 11.9.2012)	बजट	
		(ii) मंत्रालयों एवं सरकार के संयुक्त महाप्रबंधक या उच्च पद के अधिकारियों साथ ही साथ विभाग के प्रधानों द्वारा विदेशी एवं देशी दौरे (क) दर्शित स्थान (ख) दर्शन की अवधि (ग) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या (घ) दर्शन पर व्यय	
		(iii) अधिप्राप्ति से संबंधित सूचना (क) नोटिस/निविदा पूछताछ, और शुद्धिपत्र यदि कोई हो तो (ख) प्रदान किया गया बिड का विवरण जिसमें खरीदे जा रहे माल के आपूर्तिकर्ताओं के नाम /सेवाएं शामिल हैं (ग) कार्य करार समाप्त हुए - उपरोक्त के किसी भी ऐसे संयोजन में - और (घ) दर/दरों और कुल राशि जिस पर ऐसी अधिप्राप्ति या कार्य करार निष्पादित किया जाना है	



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

2.3	सहायिकी / सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [धारा 4(i)(ख)(xii)]	(i)	गतिविधि के कार्यक्रम का नाम	
		(ii)	कार्यक्रम का उद्देश्य	
		(iii)	लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया	
		(iv)	कार्यक्रम / योजना की अवधि	
		(v)	कार्यक्रम का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	
		(vi)	स्वभाव / सहायिकी मान / आबंटित राशि	
		(vii)	सहायिकी अनुदान करने के लिए पात्रता मापदंड	
		(viii)	सहायिकी कार्यक्रम के लाभार्थियों विवरण(संख्या, प्रोफाइल आदि)	
2.4	विवेकानुदान एवं गैर विवेकानुदान [मि सं. 1/6/2011-सू अ दिनांक. 15.04.2013]	(i)	विवेकानुदान एवं गैर विवेकानुदान / राज्य सरकार को आबंटन / गैर सरकारी संगठन / अन्य संस्थान / अन्य संस्थाएं	
		(ii)	सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है	
2.5	सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया प्राधिकार की रियायतें, परमिट के प्राप्तकर्ताओं के विवरण [धारा 4(i)(ख)(xiii)]	(i)	सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण	
		(ii)	प्रदान की गई प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए (क) पात्रता मापदंड (ख) रियायत/अनुदान और/या प्राधिकरणों के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया (ग) रियायतें / परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता (घ) रियायत / प्राधिकरण के परमिट प्रदान करने की तिथि	
2.6	सी ए जी एवं पी ए सी पैरा [मि सं. 1/6/2011-सू अ दिनांक. 15.04.2013]		सीएजी और पीएजी पैरा और इसके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के टैबल पर को रखा गया है	



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

## 3. प्रचार बैंड सार्वजनिक सहयोगी

क्रम सं	मद	प्रकटन / प्रकटीकरण का विवरण	अभ्युक्तियाँ / संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले / नहीं मिले - लागू नहीं को पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
3.1	नीति नियमन / नीति कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था के लिए विवरण [धारा 4(1)(ख)(vii)]	जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था (i) सुसंगत अधिनियम, नियम, प्रपत्र तथा अन्य दस्तावेज जिन्हें सामान्यतः नागरिकों द्वारा अभिगम किया। (ii) परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था (क) नीति नियमन / नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्यों (ख) आगंतुकों के लिए आबंटित दिन व समय (ग) सू का अ आवेदनों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशनों को प्रदान करने के लिए सूचना एवं सुविधि सेवा काउंटर (आई एफ सी) का संपर्क विवरण	
	[मि सं. 1 / 6 / 2011 - सू अ दिनांक. 15.04.2013 ]	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) (i) विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी) का विवरण, यदि कोई हो (ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर एस) (iii) रियायत करार (iv) प्रचालन एवं रखरखाव नियमालवी (v) पी पी पी का कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में उत्पन्न अन्य दस्तावेज (vi) शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व का विवरण, जिसे सरकार से प्राधिकारण के तहत संग्रह किया जाए। (vii) उत्पादन एवं परिणामों से संबंधित सूचना (viii) निजी क्षेत्रक पक्ष (रियायतग्राही) के चयन की प्रक्रिया (ix) पी पी पी परियोजना के सभी भुगतान किए गए	



पृष्ठ 07 का 12

3.2	क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों / निर्णयों का विवरण उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1)(सी)]	महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या निर्णयों की घोषणा करते समय प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक के रूप में जनता को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें ; (i) पिछले एक साल में लिए गए नीतिगत निर्णय / कानून (ii) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का प्रारूप तैयार करें (iii) नीति बनाने से पहले परामर्श के लिए व्यवस्था का प्रारूप तैयार करें
3.3	व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से सूचना का प्रसार जो जनता के लिए आसानी से उपलब्ध [धारा 4(3)]	संचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग (i) इंटरनेट (वैबसाइट)
3.4	सूचना नियमावली / पुस्तिका के अभिगम्यता का रूप [धारा 4(1)(ख)]	उपलब्ध सूचना नियमावली / पुस्तिका (i) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप (ii) मुद्रित प्रारूप
3.5	सूचना नियमावली / पुस्तिका निःशुल्क में उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(ख)]	उपलब्ध सामग्री की सूची (i) निःशुल्क (ii) उचित कीमत की माध्यम से

पृष्ठ 08 का 12



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

## 4. ई-शासन

क्रम सं	मद	प्रकटन / प्रकटीकरण का विवरण	अभ्युक्तियाँ / संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले / नहीं मिले - लागू नहीं को पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
4.1	भाषा जिसमें जानकारी नियमावली / पुस्तिका उपलब्ध है [मि सं. 1 / 6 / 2011- सू अ दिनांक. 15.4.2013]	(i) अंग्रेजी	
		(ii) देशी / स्थानीय भाषा	
4.2	कब जानकारी नियमावली / पुस्तिका को अंतिम बार अद्यतन किया गया था (मि सं. 1/6/2011-सू अ दिनांक. 15.04.2013)	वार्षिक अद्यतन की अंतिम तिथि	
4.3	इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध सूचना [धारा 4(1)(ख)(xiv)]	(i) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध सूचना का विवरण	
		(ii) दस्तावेज / प्रलेख / अन्य सूचना का नाम / शीर्षक	
		(iii) स्थान जहां उपलब्ध हो	
4.4	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(ख)(xv)]	(i) शिक्षण-स्टाफ का नाम एवं स्थान	
		(ii) उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण	
		(iii) शिक्षण-स्टाफ का कार्य के घंटे	
		(iv) संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ई मेल)	



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

## पृष्ठ 09 का 12

4.5	ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i)(ख) (xvii) के तहत निर्धारित की जाए	(i)	शिकायत निवारण क्रियाविधि	
		(ii)	सू का अ तथा प्रदान की गई जानकारी के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण	
		(iii)	पूरी हुई योजनाओं / परियोजनाओं / कार्यक्रमों की सूची	
		(iv)	प्रक्रिया में योजनाओं / परियोजनाओं / कार्यक्रमों की सूची	
		(v)	ठेकेदार का नाम, ठेका की राशि तथा ठेका पूरा करने की अवधि के सहित प्रवेश किए गए सभी अनुबंधों का विवरण	
		(vi)	वार्षिक रिपोर्ट	
		(vii)	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (बा पू प्र)	
		(viii)	कोई अन्य सूचना जैसे	
		(क)	नागरिक का चार्टर	
		(ख)	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज़(आर एफ डी)	
		(ग)	पर छमाही रिपोर्ट	
		(घ)	नागरिक का चार्टर में बेंचमार्क सेट के खिलाफ निष्पादन	
		4.6	सू का अ के आवेदन पत्र एवं अपील की आवती तथा निपटान [मि सं. 1/6/2011-सू अ दिनांक.15.04.2013]	(i)
(ii)	प्राप्त अपाल एवं जारी आदेशों का विवरण			
4.7	संसद में पूछे गए प्रश्नों के जवाब		पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण	



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

पृष्ठ 10 का 12

## 5. सूचना के रूप में निर्धारित किया जाए

क्रम सं	मद	प्रकटन / प्रकटीकरण का विवरण	अभ्युक्तियाँ / संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले / नहीं मिले - लागू नहीं को पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
5.1	ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जाए [मि सं.1/2/2016 - सू अ दिनांक.17.8.2016, मि सं.1/6/2011-सू अ दिनांक. 15.4.2013]	(i) (क) वर्तमान मु ज सू अ तथा एफ ए ए (ख) पूर्व 01.01.2015 से सी पी आई ओ तथा एफ ए ए का नाम तथा विवरण	
		(ii) स्वैच्छिक प्रकटन के तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा का विवरण (क) आयोजित लेखापरीक्षाकी तिथियां (ख) आयोजित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट	
		(iii) नोडल अधिकारियों की नियुक्ति जो संयुक्त सचिव / अपर विभागाध्यक्ष के पद से नीचे न हो (क)नियुक्ति की तिथि (ख)अधिकारियों का नाम एवं पदनाम	
		(iv) स्वप्रेरणा प्रकटन पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्श समिति (क) तिथियां जिनसे गठित (ख) अधिकारियों का नाम एवं पदनाम	
		(v) सू का अ के तहत अक्सर मांगी गई जानकारी की पहचान करने के लिए सू का अ में समृद्ध अनुभव वाले ज सू अधिकारियों / ए फ ए ए की समिति (क) तिथियां जिनसे गठित (ख) अधिकारियों का नाम एवं पदनाम	

पृष्ठ 11 का 12



6. स्वयं प्रारंभ पर प्रकट की गई जानकारी

क्रम सं	मद	प्रकटन / प्रकटीकरण का विवरण	अभ्युक्तियाँ / संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले / नहीं मिले - लागू नहीं को पूरी तरह से मिले / आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
6.1	मद / सूचना प्रकट की गई, ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए कम से कम सूचना का अधिकारी अधिनियम का सहारा लेना पड़े		
6.2	भारत सरकार के वेबसाइट (जी आई जी डब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय प्रक्रियाओं के केंद्रीय सचिवालय मैनुअल (सी एस एम ओ पी) में शामिल किया गया।	(i) क्या एस टी क्यू सी प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और इसकी वैधता (ii) क्या वेबसाइट पर प्रमाणपत्र दिखाती है ?	

\*\*\*\*\*



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

## अनुबंध II

भा वि प्रा वेबसाइट में अपलोड किए जाने वाले मद सं. /विवरणों की सूची

क्रम सं.	नोडल अधिकारी / एफ ए ए	मदों की क्रम सं. [“पारदर्शिता लेखापरीक्षा के लिए फ्रेमवर्क” (अनुबंध I)] के संदर्भ
1	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, उ क्षेत्र	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
2	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पू क्षेत्र	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
3	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, प क्षेत्र	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
4	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, द क्षेत्र	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
5	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पू उ क्षेत्र	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
6	विमानपत्तन निदेशक, चेन्नई हवाईअड्डा	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
7	विमानपत्तन निदेशक, कोलकाता हवाईअड्डा	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
8	प्रधानाचार्य, ना.वि.प्र.महाविद्यालय	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
9	कार्यपालक निदेशक(मा सं)	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 2.2, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
10	कार्यपालक निदेशक(व्य वि)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
11	कार्यपालक निदेशक (विमानन संरक्षा)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

12	कार्यपालक निदेशक(वित्त) - I	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.2(iii), 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
13	कार्यपालक निदेशक (वित्त)- II	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.2(iii), 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
14	कार्यपालक निदेशक (भूमि प्रबंधन)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
15	कार्यपालक निदेशक(वाणिज्य)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
16	कार्यपालक निदेशक (आंतरिक लेखापरीक्षा)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
17	कार्यपालक निदेशक(जे वी सी)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
18	कार्यपालक निदेशक(के आई डी)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
19	कार्यपालक निदेशक(प्रचालन)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
20	कार्यपालक निदेशक(तकनीकी)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
21	कार्यपालक निदेशक(सू प्रौ)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
22	कार्यपालक निदेशक(योजना)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
23	कार्यपालक निदेशक(वास्तुकला)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
24	कार्यपालक निदेशक(अभि-उ क्षेत्र)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
25	कार्यपालक निदेशक(अभि-प क्षेत्र)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

26	कार्यपालक निदेशक(अभि-पू क्षे)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
27	कार्यपालक निदेशक(अभि-द क्षे)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
28	कार्यपालक निदेशक(अभि-पू उ क्षे)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
29	कार्यपालक निदेशक (सी पी एवं एम एस)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
30	कार्यपालक निदेशक (पी एम एवं क्यू ए)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
31	कार्यपालक निदेशक (वि या प्र)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
32	कार्यपालक निदेशक (ए एस एम)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
33	कार्यपालक निदेशक (ए टी एफ एम)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
34	कार्यपालक निदेशक(सी ए पी)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
35	कार्यपालक निदेशक(वि या से)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
36	कार्यपालक निदेशक (वि या प्र-प्रशिक्षण)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
37	कार्यपालक निदेशक (सं दि नि-पी) - I	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
38	कार्यपालक निदेशक (सं दि नि-पी) - II	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
39	कार्यपालक निदेशक (सं दि नि-ओ एम)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

40	कार्यपालक निदेशक (एफ आई यू / आर सी डी यू)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
41	कार्यपालक निदेशक (आस सी एस / सी एस आर)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
42	कार्यपालक निदेशक (एफ आई यू)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
43	कार्यपालक निदेशक (विमानक्षेत्र-अनुज्ञप्ति)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
44	कार्यपालक निदेशक (विमानपत्तन प्राणाली)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
45	कार्यपालक निदेशक(प्रशासन)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
46	सी ई ओ-ए ए आई सी एल ए एस	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
47	निदेशक (सुरक्षा)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
48	निदेशक (वि अ सं)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
49	महा प्रबंधक(सतर्कता)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
50	महा प्रबंधक(विधि)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1
51	महा प्रबंधक(नि सू)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
52	महा प्रबंधक(अग्निशमन)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1
53	कंपनी सचिव	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2(iii), 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1